आवश्यक/समयबद्ध

प्रेषक,

**निदेशक,**
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1—समस्त अपर निदेशक ग्रेड—।।,पशुपालन विभाग,उ0प्र0।
2—अपर निदेशक ग्रेड—2, पशु जैविक औषधि संस्थान, बादशाहबाग लखनऊ।
3—संयुक्त निदेशक, अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र,
(चकगंजरिया) रहमानखेडा, लखनऊ/निबलेट बाराबंकी/बाबूगढ़ हापुड़।
4—परियोजना अधिकारी, सघन भेड़ एवं ऊन विकास प्रायोजना, मिर्जापुर।
5—परियोजना निदेशक, वृहद भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र, नौगढ़ चन्दौली।
6—संयुक्त निदेशक, अतिहिमीकृत वीर्य उत्पादन केन्द्र, मंझरा खीरी।
7—प्रधानाचार्य आदर्श प्रशिक्षण एवं उत्पादन केन्द्र, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
8—संयुक्त निदेशक,एनीमल न्यूट्रीशन पशु आहार प्रयोगशाला,निदेशालय कैम्पस, लखनऊ।
9—संयुक्त निदेशक, भदावरी भैंस एवं जमुनापारी बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र, इटावा।
10—उप निदेशक (प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, महानगर लखनऊ।

संख्या 3495/स्था0—2/1—ख/13(2309)/2015 दिनांक 27-8-2015

**विषयः** **पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता के संबंध में सिविल अपील संख्या—2608/2011 यू0पी0 पावर कारपोरेशन लि0 बनाम राजेश कुमार व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परित निर्णय/आदेश दिनांक 27.04.2012 का अनुपालन कराये जाने के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासन के पत्र **संख्या—3494/37—1—2015—5 (19)/2015** दिनांक 24 अगस्त, 2015 एवं उक्त के साथ संलग्न **कार्मिक अनुभाग—2 के शासनादेश संख्या** 08/04/01/2002टी0सी0—1—क—2/2015 दिनांक **21 अगस्त, 2015(छाया प्रति संलग्न) का संदर्भ** ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के क्रम में कहना है कि कार्मिक विभाग के **उक्त शासनादेश दिनांक 21** अगस्त, 2015 में दिये गये निर्देशानुसार पदोन्नति में आरक्षण तथा परिणामी **ज्येष्ठता का लाभ प्राप्त** कर दिनांक 28.04.2012 के पूर्व एवं दिनांक 15.11.1997 के बाद समूह''ग'' एवं ''घ'' **के प्रोन्नत** कर्मियों के संबंध में दिनांक 31 08.2015 तक कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से निदेशालय **को अवगत** कराने का कष्ट करें। प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण है अतः किसी भी प्रकार की शिथिलता **न बरती** जाय। यदि दिनांक 31.08.2015 तक कार्यवाही करके सूचना नहीं दी जाती है तो तदनुसार **आपके** विरूद्ध कार्यवाही शासन को प्रस्तावित कर दी जायेगी। यह भी उल्लेख करना है कि यदि **किसी** प्रकार की भ्रांति होती है तो संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन के दूरभाष नं0—9454412242 से वार्ता कर भ्रांति दूर करें।

संलग्नकः— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(रूद्र प्रताप)
निदेशक।

संख्या /स्था0—2/1—ख/13(2309)/2015 दिनांक

प्रतिलिपिः— संयुक्त सचिव, पशुधन अनुभाग—1, उत्तर प्रदेश, शासन की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

(रूद्र प्रताप)
निदेशक।

संख्या–3494/37–1–2015–5(13)/2015

प्रेषक,

दया शंकर सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग–1 लखनऊःःदिनांक 24 अगस्त, 2015

विषयःः पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता के सम्बन्ध में सिविल अपील संख्या–2608/2011 यू0पी0 पावर कारपोरेशन लि0 बनाम राजेश कुमार व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 27.4.2012 का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या– 8/4/1/2002 टी0सी0–1–का–2/2015, दिनांक 21.8.2015 (छाया प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक विभाग के उक्त शासनादेश में दिए गए निर्देशानुसार पदोन्नति में आरक्षण तथा परिणामी ज्येष्ठता का लाभ प्राप्त कर दिनांक 28.4.2012 के पूर्व एवं दिनांक 15.11.1997 के बाद समूह–ग एवं घ के प्रोन्नत कार्मियों के संबंध में तीन दिन में कार्यवाही करने एवं कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

3– उक्त के अतिरिक्त कार्मिक विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 21.8.2015 के अनुसार निदेशक के अतिरिक्त समूह क एवं ख के जिन अधिकारियों के सम्बन्ध में शासन स्तर से कार्यवाही अपेक्षित है, उनके सम्बन्ध में प्रस्ताव/विवरण शासन को कल दिनांक 25.8.2015 तक अवश्य उपलब्ध कराने का कष्ट करें। प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण है, अतः किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाय।

संलग्नकः यथोक्त

भवदीय,

(दया शंकर सिंह)
संयुक्त सचिव।

महत्वपूर्ण
25/8/15
25-8-15

संख्या-8/4/1/2002टी0सी0-1-का-2/2015

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊः दिनॉक: 21 अगस्त, 2015

विषय- पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता के संबंध में सिविल अपील संख्या-2608/2011, यू0पी0 पावर कारपोरेशन लि0 बनाम राजेश कुमार व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनॉक 27-04-2012 का अनुपालन कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक कार्मिक विभाग के समसंख्यक शासनादेश दिनॉक 28-04-2012 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2 मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनॉक 27-04-2012 को पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था समाप्त करते हुए विस्तृत दिशा-निर्देश प्रसारित किये गये, जिसका कार्यकारी अंश (Operative Portion) निम्नानुसार है-

"In the ultimate analysis, we conclude and hold that section-3(7) of 1994 Act and rule-8A of the 2007 Rules are ultra-vires as they run counter the dictum in M.Nagaraj (Supra). Any promotion that has been given on the dictum of Indra Sawhney (Supra) and without the aid or assistance of section-3(7) and rule-8A shall remain undisturbed."

3 मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उक्त वर्णित आदेश के क्रम में कार्मिक विभाग द्वारा निम्नांकित शासनादेशों के माध्यम से दिशा-निर्देश प्रसारित किये गये हैं-

I- शासनादेश संख्या-4/1/2002टी0सी0-1-का-2-2012, दिनॉक 28-04-2012

II- शासनादेश संख्या-4/1/2002टी0सी0-1-का-2-2012, दिनॉक 08-05-2012

III- शासनादेश संख्या-4/1/2002टी0सी0-1-का-2-2012, दिनॉक 13-05-2012

4 उक्त वर्णित शासनादेश दिनॉक 08 मई, 2012 तथा 13 मई, 2012 के माध्यम से पदोन्नति में आरक्षण एवं परिणामी ज्येष्ठता की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है।

5 उक्त वर्णित शासनादेश दिनॉक 28 अप्रैल, 2012 में यह निर्देश प्रसारित किये गये थे कि पदोन्नति में आरक्षण तथा परिणामी ज्येष्ठता का लाभ प्राप्त कर पूर्व में पदोन्नति प्राप्त कर्मियों के संबंध में जब तक कोई

निर्देश प्रसारित न कर दिये जायें, तब तक पदावनति की कार्यवाही न की जाये।

6 सम्यक् विचारोपरान्त पदोन्नति में आरक्षण तथा परिणामी ज्येष्ठता का लाभ प्राप्त कर 28 अप्रैल, 2012 के पूर्व एवं 15-11-1997 के बाद प्रोन्नत कर्मियों के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है-

(क) उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम-1994 की धारा-3(7) के प्रावधान के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देते हुए दिनॉक 15-11-1997 के पश्चात पदोन्नत कार्मिकों तथा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 (यथासंशोधित) के नियम-8(क) का लाभ देकर जिन कार्मिकों की पदोन्नति की गयी है, उन्हें पदावनत कर दिया जाये। वर्तमान संशोधित वरिष्ठता सूची जो कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश दिनॉक 08-05-2012 एवं 13-05-2012 के क्रम में जारी की गयी है, के अनुसार दिनॉक 15-11-1997 के पश्चात पदोन्नति में आरक्षण तथा नियम-8क का लाभ प्राप्त कर पदोन्नत कार्मिकों से कनिष्ठ कर्मी जिस स्तर पर कार्यरत हों, उस स्तर तक उन्हें पदावनत किया जाये।

(ख) पदावनत किये जाने पर, आरक्षित श्रेणी के कार्मिक को पदावनत पद का ही वेतनमान अनुमन्य होगा। उक्त वर्णित संशोधित वरिष्ठता सूची के अनुसार पदावनत किये गये आरक्षित श्रेणी के कार्मिक से आसन्न वरिष्ठ कर्मी को अनुमन्य मूल वेतन के बराबर पदावनत कर्मी का मूल वेतन निर्धारित किया जायेगा। पदावनति के ठीक पूर्व के माह में पदावनत कर्मी को प्राप्त हो रहीं परिलब्धियों(मूल वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि) में पदावनति के उपरान्त कोई वित्तीय हानि न हो, इसके लिए पदावनत किये गये कार्मिक की पदावनति के उपरान्त निर्धारित मूल वेतन के आधार पर प्राप्त होने वाली कुल परिलब्धियाँ तथा पदावनति के ठीक पूर्व के माह में प्राप्त होने वाली कुल परिलब्धियों में जो अंतर होगा, वह वैयक्तिक वेतन के रूप में पदावनत कार्मिक को अनुमन्य होगा। वैयक्तिक वेतन आगे के वर्षों में उस सीमा तक कम होता जायेगा जिस सीमा तक पदावनत कर्मी के मूल वेतन में वार्षिक वेतन वृद्धि के कारण मूल वेतन तथा कार्मिक वेतन वृद्धि तथा अन्य भत्तों सहित आधारित सकल वेतन में वृद्धि हो रही है। पदावनत कर्मी की पदावनति के ठीक पहले के माह में प्राप्त कुल मासिक परिलब्धियाँ तब तक फ्रीज रहेंगी जब तक कि पदावनत कर्मी से आसन्न वरिष्ठ कर्मी की परिलब्धियाँ इसके बराबर या इससे अधिक न हो जायें।

(ग) आरक्षण का लाभ प्राप्त कर पदोन्नत कार्मिक, पदावनति के पश्चात पदावनत पद के अनुरूप ही समस्त सुविधाऐं प्राप्त करेंगे।

(घ) पदावनत कर्मी को प्राप्त हो रही परिलब्धियां (जिसमें वैयक्तिक वेतन शामिल होगा) के आधार पर वरिष्ठता क्रम का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा।

(च) अनारक्षित वर्ग (जिन्हें पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा अनुमन्य नहीं थी) के पदधारकों द्वारा इस आधार पर अतिरिक्त परिलब्धियों अथवा वैयक्तिक वेतन की मांग नहीं की जायेगी कि वे पदावनत कर्मी से संशोधित वरिष्ठता सूची के अनुसार वरिष्ठ हैं।

(छ) उपरोक्तानुसार पदावनति किये जाने के परिणामस्वरूप जो रिक्तियां उपलब्ध होंगी, उन पर उक्त

वर्णित संशोधित वरिष्ठता सूची के अनुसार पदोन्नति की कार्यवाही की जायेगी।

7 उपरोक्त प्रस्तर-6 में वर्णित सीमा तक उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 28-04-2012 संशोधित समझा जायेगा।

8 कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या-8/4/1/2002(1)दी0सी0-1-का.2/2012, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उक्त शासनादेश की व्यवस्था से अपने समस्त अधीनस्थों को भी अवगत करा दें-

1 प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2 प्रमुख सचिव, विधानसभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।
3 सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4 सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
5 वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति विभाग, उ0प्र0 शासन।
6 समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
7 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

( रघुनाथ सिंह परिहार )
संयुक्त सचिव।